31-10-22 पत्रावली पेश हुई। वकील ~~श्री~~ पक्षकारान् उपस्थित। वकील श्री अशोक लाम्बा ने वकालतनामा व एक प्रा० प० अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा० दी० का पेश किया। प्रा० प० पर बहस सुनी गई। वकील श्री अशोक लाम्बा ने प्रा० प० मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इस अपील मे राकेश कुमार पुत्र नेमीचन्द, जाति जाट, निवासी इस्मायलपुर तन नूआं आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है अत: उसे रेस्पो० सं० 6 बनाया जावे।

वकील अपीलान्ट ने वकील श्री अशोक लाम्बा के कथनों का विरोध प्रकट करते हुए कथन किया कि श्री राकेश कुमार अपील मे हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

चूंकि विवादित भूमि के क्रम मे किये गये बेयान से राकेश कुमार प्रभावित नहीं है अत: वकील श्री अशोक लाम्बा द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० आदेश 1 नियम 10 खारिज किया जाता है।

पत्रावली मे अन्तिम बहस सुनी गई। आदेश पृथक से टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा शामिल मिसल किया गया। आदेश के अनुसार अपीलान्ट की [illegible] अपील स्वीकार की गई है। अत: पत्रावली फैसल [illegible] दर्ज रजिस्टर [illegible] जावे [illegible] शामिल [illegible] हो। काम हो एवं बाद तकमील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

(एल० एस० कुरी)
जिला कलेक्टर झुन्झुनू